कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

E-mail:dfonainital_uta@yahoo.com Telefax:05942-236790

पत्रांकः– 2254 /13–भूमि हस्तान्तरण दिनांक 5 / 1 /2021

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
निर्माण,खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल नैनीताल ।

विषय :– जनपद–नैनीताल में एस0सी0एस0पी0 के अर्न्तगत सतोली से कफूडा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.988 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन । प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/9471/2015)

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी0/यू0पी0सी0/06/89/2019/एफ0सी0/1756 दिनांक 17.11.2020. एंव अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोड़ल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड़ देहरादून की पत्र सं0 1476 /FP/UK/ROAD/9471/2015देहरादून, दिनांक 25.11...2020.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें । विषयगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित निम्न लिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना हैं ।

1– शर्त न0 3(क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव की धनराशि रू0 **2.988** x 2= 5.976 **है0** x **3,37,184.00** = 20,15,012.00 (रू0 बीस लाख पन्द्रह हजार वारह) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी हैं। जो प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या 972/3–5–2 दिनॉक 21–11–2017 द्वारा निर्धारित दर पर आगणन किया गया हैं। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम पुटगॉव सिविल सोयम भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरण एंव हस्तानान्तरण के सुप्रमाण प्रेषित किया जाना हैं ।

शर्त न0 3(ख) के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एव रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। वन विभाग के स्वामित्व से बाहर ऐसे क्षेत्र जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

शर्त न0 3(ग) के अनुपालन में मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया।

2– शर्त न0 4(क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रूपया **2.988** है0 x 8,45,000 = 25,24,860. 00(रू0 पच्चीस लाख चौबीस हजार आठ सौ साठ)मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी हैं ।

शर्त न0 5(ख) के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

3–शर्त न0 8 के अनुपालन में एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

4–शर्त न0 9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण आई0आरसी0 मानदण्डो के अनुसार सडक के दोनो किनारो पर पौधो की संख्या बढाएगा ।

5–शर्त न0 10 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमय साइनेज लगाए जाएंगे।

6–शर्त न0 11 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

7–शर्त न0 15 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

सहायक अभियन्ता III प्रमाण

8–शर्त न0 19 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देष फाइल संख्या 11–42 / 2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

9–शर्त न0 20 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

10–शर्त न0 21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे । राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षय में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलुवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एंव पुनजीवित करने का कार्य किया जायेगा । मलवे को यथा स्थान रचाने हेतु दीवों बनाई जाएगी । निस्तारण स्थलो को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इसका स्थिलीकरण एवं सुधार कार्य योजना अनुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार की सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित अन्य शर्तो का अनुपालन आख्यॉ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

अतः भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तो की बिन्दु वार अनुपालन प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव हो सके ।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल ।

पत्रांक /उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि – वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊ वृत नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल ।